

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

[29/2/2016]

तारांकित प्रश्न क्र. 3014

प्रपत्र - अ

स.क्र.	मार्ग का नाम	स्वीकृति का दिनांक	लागत रु. लाख में	कार्यादेश का दिनांक	ठेकेदार द्वारा कितना कार्य किया गया	भुगतान की राशि रु. लाख में	कितना कार्य शेष है। विवरण दें।	निर्माण एजेंसी द्वारा 2 वर्षों में कोई कार्य न करने पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही।	ठेकेदार के विरुद्ध 2 वर्ष पश्चात भी कोई कार्यवाही नहीं करने का कारण	2 वर्षों में सड़क की लागत बढ़ी है। भरणई किसके द्वारा की जावेगी तथा कार्य कब पूर्ण कर लिया जावेगा	दोषी एवं लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही
1	उन्हेल पानखेडी मार्ग का नवीनीकरण कार्य लंबाई 13.20 कि.मी.	12.02.2013	177.33	1466/0 2.03.13	6.00 कि.मी. नवीनीकरण	47.20	7.20 कि.मी. कार्य शेष	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग उज्जैन के पत्र क्र. 5235 दिनांक 28.15 अनुबंध निरस्त । अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल उज्जैन द्वारा धारा 29 के तहत दिनांक 23.3.15 से पूर्णजाति किया गया तथा ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ कर पुनः बंद कर देने के कारण कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग उज्जैन का पत्र क्र. 937 दिनांक 05.02.16 से अनुबंध की कण्डिका 3 सी में ठेका समाप्त करने हेतु नोटिस जारी किया गया।	दिनांक 23.03.15 को ठेका पुनर्जीवित होने के पश्चात ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया था। अतः कार्यवाही नहीं की गई थी।	ठेकेदार की रिस्क एंड कास्ट पर अन्य एजेंसी से कार्य पूर्ण कराया जावेगा तथा यदि लागत बढ़ती है तो अन्तर की राशि पूर्ण ठेकेदार मेसर्स राजू कंस्ट्र.कम्पनी एंड शेल्टर्स प्रा. लि.भोपाल से वसूल की जावेगी। अतः अतिरिक्त लागत का वित्तीय भार शासन पर नहीं पड़ेगा। कार्य को ठेका तय होने के बाद छः माह में पूर्ण करा लिया जावेगा। ठेका निरस्त होने पर ठेकेदार के विरुद्ध काली सूची में डाली जाने की कार्यवाही की जावेगी।	परिशिष्ट 'अ' की प्रश्न सं. [अ. 30] अनुबंध के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की गई है। अतः कोई दोषी नहीं है।